न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./40/2016/जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सांगसिंह पुत्र भीखसिंह
2.मूलसिंह पुत्र भीखसिंह
3.पदमसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम देवीकोट तहसील फतेहगढ
जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 21/2015 बनवान भीखसिंह कायम मुकाम सांगसिंह वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम देवीकोट के खसरा संख्या 827 रकबा 38.12 बीघा, खसरा संख्या 884 रकबा 27 बीघा, खसरा संख्या 828 रकबा 44 बीघा, खसरा संख्या 825 रकबा 145.05 बीघा, खसरा संख्या 829 रकबा 56.08 बीघा, खसरा संख्या 836 रकबा 45.15 बीघा, खसरा संख्या 842 रकबा 91 बीघा में से 38 बीघा कुल रकबा 395 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 03.06.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण समरी सेटलमेंट से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहे है जिसकी पुष्टि तत्समय के खसरा बंदोबस्त एवं खसरा गिरदावरी से होती हैं रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा भूमि का लगान अदा करान भी अभिलेखीय साक्ष्य से पुष्ट होता है। रेस्पोडेंट/वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ एवं पिछड़े तबके से होने से बन्दोबस्त में उक्त भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गई हैं। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड (प्रदर्श–8) में एकमात्र खातेदार "भीखसिंह पुत्र पुंजराजसिंह कौम राजपूत साकिन देह की समरी खसरा संख्या 126 व 1/126 रकबा क्रमशः 575 व 115 बीघा गैर खातेदारी दर्ज थी जिसमें से मिसल संख्या 18/1965 के तहत दिनांक 13.06.1965 से 438 बीघा खातेदारी दी गई। इसकी पुष्टि प्रदर्श–11 (पृष्ठ संख्या 40) भू प्रबंध विभाग, राजस्थान के आज्ञा–पत्र पत्रावली संख्या 18/65 विषय इन्द्राज दुरूस्ती के निर्णय दिनांक 03.06.1965 से होती हैं जिसमें उसे 439.19 बीघा भूमि की खातेदारी दी। इसकी पुष्टि खतौनी बंदोबस्त संवत 2028–47 ग्राम देवीकोट खाता संख्या 51(प्रदर्श–20 पृष्ठ 49) से होती है कि "भीखसिंह वल्द पूंजराजसिंह कौम राजपूत भाटी का देवीकोट खातेदार कुल खसरा संख्या 7 रकबा 440 बीघा, बारानी। यह तथ्य पर्चा लगान ग्राम देवीकोट प्रदर्श–21 से भी पुष्ट/साबित है। इस तथ्य को वादीगण स्वयं ने अपने वाद–पत्र में स्वीकारोक्ति कथन किया है। यह रकबा जैसलमेर जिले की सीलिंग कानून के मुताबिक धारण योग्य अंतिम सीमा है। इससे अधिक की खातेदारी कानूनन उन्हे दी भी नहीं जा सकती थी। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का बाद भू प्रबंध कार्यवाही एवं संवत 2072 से पूर्व का कोई कब्जा होने बाबत अभिलेखीय साक्ष्य भी नहीं है, लिहाजा उन्हें वादग्रस्त खसरों की भूमि के खातेदार घोषित किये जाने के कोई आधार नहीं है। अपीलांट के साक्षी पटवारी अशोकदान के बयान दिनांक 06.01.2016 के अनुसार ग्राम देवीकोट के खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

827, 884, 828, 825, 829, 836, 842 वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि है। यह भूमि किसी की खातेदारी में दर्ज नहीं है। वर्तमान में इस भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है भूमि मौके पर खाली है वादीगण सांगसिंह वगैरह द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने की नीयत से वाद पेश किया है। देवीकोट में इसकी खातेदारी भूमि रेकर्ड में दर्ज है।" तत्समय जागीरदार भीखसिंह (वादीगण के पिता) को कानूनन अधिकतम धारण योग्य भूमि की सीमा तक (440 बीघा) खातेदारी दी गई और इसके सिवाय वह भूमि धारण नहीं कर सकता था लिहाजा वादीगण उसकी अधिकतम सीमा से ऊपर की दावाकृत भूमि के लिए उसी आधार पर दावा लाने के अधिकारी भी नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन एवं रेकर्ड के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2015 बनवान भीखसिंह कायम मुकाम सांगसिंह वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016 को खारिज किया जाता है।

20/6/19

(तख्तदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner